07/11/25

आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं, ना ही वादी स्वयं उपस्थित आया। बार-बार आवाज लगवाई उसके बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं। अब सायं 05 बजे हुए। आवाज लगवाई गई उसके बावजूद भी वादी वकील एवं वादी या उनका कोई ग्रिफ होल्डर कोई भी उपस्थित नहीं आया। इसलिए वादी का वाद आदेश 17 नियम 2 के अंतर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली निकाल दफ्तर किया जाए, क्योंकि लम्बा समय व्यतीत हो गया मेरे द्वारा लिखाया जाकर पढ़ा गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

को पेश हो।

07/11/25

इस पत्रावली पेश की। वकील पार्टी या पार्टी स्वयं उपस्थित नहीं होने पर उक्त प्रकरण को स्थगित किया। इस वाद का आदेश हाथमी व आदेश पेशकी में स्थगित हो चुका है इसीलिए कि इस ग्रा०पं० 212 RTA का कोई औचित्य अब नहीं रहा इसलिए ग्रा० पं० 212 RTA का आदेश हाथमी व आदेश पेशकी में स्थगित किया जाता है। पत्रावली फेमेर हुआ होकर गया। न्याय हो। इस तकमील सम्बन्ध इस वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)